[2021] 2 उम. नि. प. 85

हितेश वर्मा

बनाम

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य

[2020 की दांडिक अपील सं. 707]

5 नवंबर, 2020

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) – धारा 3(1)(द) [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित या अभित्रस्त किया जाना – पक्षकारों के बीच पहले से भूमि विवाद होना – इत्तिलाकर्ता के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली-गलौज उसके मकान की चाहरदीवारी के भीतर किए जाने का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा आरोप पत्र को अभिखंडित किए जाने की ईप्सा करना – अधिनियम की उक्त धारा के अधीन अपराध का गठन करने के लिए ऐसा अपमान या अभित्रास जनता को दृष्टिगोचर स्थान में न कि भवन की चाहरदीवारी के भीतर किया गया होना चाहिए और अभियुक्त का आशय आहत व्यक्ति को इस कारण अपमानित या अभित्रस्त करने का रहा हो कि उसका संबंध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है, इसलिए अपराध के संघटक पूर्ण नहीं होने के कारण आरोप पत्र को अभिखंडित करना उचित होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, के बीच भूमि के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था । प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा यह अभिकथन करते हुए पुलिस थाने में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई कि अभियुक्त और अन्य व्यक्ति अवैध रूप से उसके भवन की चाहरदीवारी में घुसे और जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगे और जान

से मारने की धमकी दी । प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 और अधिनियम की धारा 3(i)(x) के अधीन अपराध प्रकट करते हुए एक रिपोर्ट फाइल की और विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 25 जून, 2020 को इस पर संज्ञान लिया गया । उक्त आदेश के साथ-साथ आरोप पत्र को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जो असफल रही । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द) के अधीन अपराध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करने का संघटक उपदर्शित होता है । किसी व्यक्ति को अपमानित या अभित्रस्त करने के सभी मामले तब तक अधिनियम के अधीन अपराध नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपमान या अभित्रास आहत व्यक्ति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने के कारण न किया गया हो । अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार करना है क्योंकि वे कई सारे सिविल अधिकारों से वंचित हैं । अत: अधिनियम के अधीन अपराध तब बनेगा जब समाज के कमजोर वर्ग का कोई सदस्य तिरस्कार, अपमान या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया हो । पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा भूमि पर हक के प्रकथन में न तो तिरस्कार, अपमान और न ही उत्पीड़न को इसका कारण बताया गया है । प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार अपने उपचारों का फायदा उठाने का अधिकार है । इसलिए यदि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया है, तब पक्षकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने-अपने उपचारों का फायदा उठा रहे हैं । ऐसी कार्रवाई का कारण यह नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अनुसूचित जाति की सदस्य है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार, इत्तिलाकर्ता को गाली उसके भवन की चाहरदीवारी के भीतर देने के

अभिकथन किए गए हैं । इत्तिलाकर्ता का यह पक्षकथन नहीं है कि मकान में इस घटना के समय पर जनता का कोई सदस्य (न केवल नातेदार या मित्र) था । अत: यह मूलभूत संघटक, कि "जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में" शब्दों का उच्चारण किया गया था, सिद्ध नहीं होता है । भूमि के कब्जे के बारे में एक विवाद है जो पक्षकारों के बीच, स्वयं प्रत्यर्थी सं. 2 के अनुसार, सिविल विवाद की विषयवस्तु है । इस विवाद के कारण अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति प्रत्यर्थी सं. 2 को पिछले छह माह से भूमि की जुताई नहीं करने दे रहे थे । चूंकि मामला संपत्ति के कब्जे के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए उक्त संपत्ति के कब्जे को लेकर उद्भूत किसी विवाद से तब तक अधिनियम के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जब तक कि आहत का अपमान, अभित्रास या उत्पीड़न केवल इस कारण न किया गया हो कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है । अत: अधिनियम के अधीन अपराध मात्र इस तथ्य के आधार पर कि इत्तिलाकर्ता अनुसूचित जाति की सदस्य है तब तक सिद्ध नहीं होता है कि जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने का आशय इस कारण से न हो कि आहत का संबंध उस जाति से है । प्रस्तुत मामले में, पक्षकार भूमि के कब्जे को लेकर मुकदमेबाजी कर रहे हैं । गाली देने का अभिकथन उस व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जिसने संपत्ति पर हक होने का दावा किया है । यदि ऐसा व्यक्ति संयोगवश अनुसूचित जाति का है, तो अधिनियम की धारा 3(1)(द) के अधीन अपराध नहीं बनता है । अपीलार्थी ने आरोप पत्र को इस आधार पर अभिखंडित करने की ईप्सा की थी कि अभिकथन से अधिनियम के अधीन केवल इस कारण अपराध नहीं बनता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अनुसूचित जाति की है चूंकि संपत्ति विवाद इस तथ्य के कारण नहीं था कि प्रत्यर्थी सं. 2 अनुसूचित जाति की है । समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्ति और उच्च जाति के व्यक्ति के बीच संपत्ति विवाद से अधिनियम के अधीन कोई अपराध तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि अभिकथन आहत के अनुसूचित जाति का होने के कारण न हों । इसके अतिरिक्त, यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी को इत्तिलाकर्ता की जाति की जानकारी थी, महत्वहीन है क्योंकि जानकारी किसी व्यक्ति को विधि

द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधिकारों की संरक्षा करने के लिए वर्जित नहीं करती हैं । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध नहीं बनता है । परिणामतः, आरोप पत्र को इस सीमा तक अभिखंडित किया जाता है । इस अपील का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है । (पैरा 13, 15, 16, 18, 22 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	(2020) 4 एस. एस. सी. 727 : **पृथ्वीराज चौहान** बनाम **भारत संघ** ;	20
[2020]	(2020) 4 एस. सी. सी. 761 : **भारत संघ** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	19
[2019]	(2019) एस. एस. सी. ऑन लाइन एस. सी. 1104 : **खुमन सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	17
[2018]	(2018) 6 एस. सी. सी. 454 : **डा. सुभाष काशीनाथ महाजन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** ;	19
[2018]	(2018) 13 एस. सी. सी. 613 : **ईश्वर प्रताप सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	23
[2009]	(2009) 3 एस. एस. सी. 789 : **आशाबाई मचिन्द्र अधागले** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ;	5
[2008]	(2008) 12 एस. एस. सी. 531 : **जार्ज पेंटप्पा** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य** ;	5

[2008] (2008) 8 एस. सी. सी. 435 :
स्वर्ण सिंह और अन्य बनाम **राज्य**
मार्फत स्टेंडिंग काउंसेल और अन्य । 14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील सं. 707.

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के तारीख 20 जुलाई, 2020 के निर्णय के विरुद्ध 2020 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 3585 से उद्भूत दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आयुष नेगी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अतुल शर्मा, राहुल शर्मा और कपिल पंत

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – इस अपील में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा तारीख 20 जुलाई, 2020 को पारित किए गए उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 482 के अधीन अपीलार्थी द्वारा आरोप पत्र तथा तारीख 25 जून, 2020 के समन आदेश को अभिखंडित करने के लिए फाइल की गई याचिका खारिज कर दी गई थी ।

2. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रश्नगत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 173 तारीख 11 दिसम्बर, 2019 को 11.24 बजे अपीलार्थी और अन्य के विरुद्ध अभिकथित रूप से तारीख 10 दिसम्बर, 2019 को 10.00 बजे घटित एक घटना के संबंध में दर्ज की गई थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 504 और 506 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 3(i)(x) और 3(i)(ग) के अधीन दर्ज की गई थी । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, अनुवाद करने पर, निम्नलिखित प्रकार से है :–

"आदरणीय थाना अधिकारी, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के संबंध में । शिकायतकर्ता वर्तमान में ग्राम न्यू बाजेती पट्टी

चंडक तहसील और जिला पिथोरागढ़ का निवासी है । मैं अपने खेत सं. 6195, 6196 और 6199 पर अपने मकान का निर्माण कर रहा हूं किंतु बंसीलाल, प्यारेलाल पुत्र स्व. हरलाल, हितेश वर्मा पुत्र श्री प्यारेलाल, पवन वर्मा पुत्र बंसीलाल, उमा वर्मा पत्नी प्यारेलाल और उनका नेपाली घरेलू मददगार राजू पिछले छह माह से आवेदक को अपने खेतों पर काम नहीं करने दे रहे हैं । उपरोक्त सभी व्यक्ति आवेदक, उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली-गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं तथा जाति-सूचक गालियां देते हैं । तारीख 10 दिसम्बर, 2019 को लगभग 10.00 बजे, ये सभी व्यक्ति अवैध रूप से उसके भवन के अंदर घुसे और मुझे तथा मेरे श्रमिकों को गालियां देने लगें और जान से मारने की धमकी दी तथा जाति-सूचक टिप्पणियों/गालियों का प्रयोग किया और निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, ईंटें ले गए । आवेदक अनुसूचित जाति की है और उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने जाति-सूचक टिप्पणियों/गालियों का प्रयोग किया (गंदी भाषा का प्रयोग किया) और कहा कि तुम गंदी जाति के व्यक्ति हो और हम तुम्हें इस मोहल्ले/आसपास नहीं रहने देंगे । महोदय, आवेदक और उसके परिवार को इन व्यक्तियों से जान का खतरा है । अत: अनुरोध है कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जाए और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए ..... ।"

3. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 और अधिनियम की धारा 3(i)(x) के अधीन अपराध प्रकट करते हुए एक रिपोर्ट फाइल की और विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 25 जून, 2020 को इन पर संज्ञान लिया गया । उक्त आदेश के साथ-साथ आरोप पत्र को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जो असफल रही ।

4. दूसरी ओर, श्री पवन वर्मा के कथन के आधार पर तारीख 11 दिसम्बर, 2019 को लगभग 11.47 बजे पूर्वाह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 174 उस घटना के संबंध में दर्ज की गई थी जो अभिकथित रूप से तारीख 11 दिसम्बर, 2019 को 9.45 बजे घटी थी । उक्त मामले में

प्रत्यर्थी सं 2 और अन्य के विरुद्ध एक आरोप पत्र फाइल किया गया था । उसके पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथोरागढ़ ने तारीख 2 जुलाई, 2020 को प्रत्यर्थी सं. 2 और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 354 के अधीन अपराधों के लिए संज्ञान लिया था ।

5. अपीलार्थी ने आरोप पत्र और संज्ञान लेने वाले आदेश को चुनौती देने के लिए संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया । अपीलार्थी ने **जार्ज पेंटप्पा** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया, जिसमें शिकायतकर्ता को उसकी जाति का नाम लेकर गाली देने का अभिकथन था और इस न्यायालय ने शिकायत को अभिखंडित कर दिया था । उच्च न्यायालय का ध्यान **आशाबाई मचिन्द्र अधागले** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में संप्रकाशित एक अन्य निर्णय की ओर भी आकृष्ट किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को इस आधार पर अभिखंडित करने के लिए इनकार कर दिया था कि अभियुक्त की जाति का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं था । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि ऊपर उल्लिखित दोनों मामले अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता के विषय में एक जैसे विवाद्यक के संबंध में हैं । उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि इत्तिलाकर्ता अनुसूचित जाति की है और उसे तथा उसके श्रमिकों को गालियां दी गई थी । अत: अधिनियम के उपबंधों का लागू होना पाया गया था और तद्नुसार, अन्वेषण के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त निष्कर्षों के साथ याचिका को खारिज कर दिया ।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि संपत्ति के संबंध में विवाद सिविल न्यायालय में लंबित हैं और वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को केवल तंग करने और विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए

---

[1] (2008) 12 एस. एस. सी. 531.

[2] (2009) 3 एस. एस. सी. 789.

फाइल की गई थी । यह दलील दी गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों और अन्वेषण के पश्चात् पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई पश्चात्वर्ती रिपोर्ट से अधिनियम के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, यह दलील दी गई कि रिपोर्ट में न तो इत्तिलाकर्ता की जाति प्रकट होती है और न ही अभिकथन ऐसे हैं कि वे जनता को दृष्टिगोचर स्थान पर किए गए थे । साथ ही, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग इस कारण से किया जाना तात्प्रर्यित नहीं है कि इत्तिलाकर्ता एक ऐसी व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति की है ।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अन्वेषण के दौरान कई सारे व्यक्तियों ने इत्तिलाकर्ता के वृत्तांत का समर्थन किया था । प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से यह दलील दी गई कि वास्तव में अपीलार्थी और उसके परिवार ने इत्तिलाकर्ता की भूमि पर अधिक्रमण किया है । इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ठीक ही कोई अनुग्रह प्रदान नहीं किया था ।

8. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों के कथन को निर्दिष्ट करना समीचीन है । इसमें निम्नलिखित उपबंधित है :-

> "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद वे कमजोर रहे हैं । उन्हें कई सारे सिविल अधिकार नहीं हैं । वे विभिन्न अपराधों, तिरस्कारों, अपमान और उत्पीड़न का शिकार हैं । उन्हें कई क्रूर घटनाओं में उनके जीवन और संपत्ति से वंचित किया जाता है । विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनके विरुद्ध गंभीर अपराध किए जाते हैं ।
>
> 2. शिक्षा आदि के विस्तार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच सृजित जागरुकता के कारण वे अपने अधिकारों का दृढ़तापूर्वक दावा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को अन्यों द्वारा बहुत दयालुतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है । जब वे अपने अधिकारों का प्राख्यान करते हैं और अपने विरुद्ध अस्पृश्यता के व्यवहार का विरोध करते हैं या कानूनी

न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं या कोई बंधुआ या बलात् श्रम करने से इनकार करते हैं, तो निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति उन्हें डराने और आतंकित करने की कोशिश करते हैं । जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति अपने आत्म-सम्मान और अपनी स्त्रियों के सम्मान की परिरक्षा करने की कोशिश करते हैं तो वे प्रबल और शक्तिशाली लोगों के गुस्से का शिकार बनते हैं । यहां तक कि सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा अधिभोग या कृषि करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है और प्राय: ये लोग निहित स्वार्थ व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले का शिकार बनते हैं । हाल ही में कतिपय अत्याचार जैसे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को मानव विष्टा जैसे अखाद्य पदार्थ खिलाना और उन पर आक्रमण करना तथा असहाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की बड़े पैमाने पर हत्या और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के साथ बलात्संग की हैरान कर देने वाली प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है । इन परिस्थितियों में, विद्यमान विधियां जैसे सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता के प्रसामान्य उपबंध इन अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए अपर्याप्त पाई गई हैं । अत: उनके विरुद्ध गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर नियंत्रण करने और उनका निवारण के लिए एक विशेष विधान आवश्यक हो गया है ।"

9. अधिनियम का शीर्षक है – अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

10. यह अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार करने के लिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि वे तिरस्कार, अपमान और उत्पीड़न जैसे विभिन्न अपराधों का शिकार थे ।

उन्हें प्राण और संपत्ति से भी वंचित किया गया था । अत: अधिनियम का उद्देश्य उन अधिक्रमणकारियों को दंडित करना है जो उनका तिरस्कार, अपमान और उत्पीड़न करते हैं और अधिनियम का आशय समाज के कमजोर वर्ग के विरुद्ध इस कारण से कि वे एक विशेष समुदाय से संबंधित हैं, उच्च जाति के व्यक्तियों के कृत्यों को दंडित करना है ।

11. यह उल्लेख किया जा सकता है कि फाइल किया गया आरोप पत्र अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अधीन अपराध के लिए है । उक्त धारा को तारीख 26 जनवरी, 2016 को 2016 के अधिनियम सं. 1 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । प्रतिस्थापित उत्तरवर्ती उपबंध धारा 3(1)(ढ) है जो निम्नलिखित है :–

> "3(1)(द) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा ;"

12. अधिनियम की धारा 3(1)(द) के अधीन अपराध के संघटकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है - "(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित करता है या अभित्रस्त करता है और (2) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में" ।

13. अधिनियम की धारा 3(1)(द) के अधीन अपराध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करने का संघटक उपदर्शित होता है । किसी व्यक्ति को अपमानित या अभित्रस्त करने के सभी मामले तब तक अधिनियम के अधीन अपराध नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपमान या अभित्रास आहत व्यक्ति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने के कारण न किया गया हो । अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार करना है क्योंकि वे कई सारे सिविल अधिकारों से वंचित हैं । अत: अधिनियम के अधीन अपराध तब

बनेगा जब समाज के कमजोर वर्ग का कोई सदस्य तिरस्कार, अपमान या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया हो । पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा भूमि पर हक के प्रकथन में न तो तिरस्कार, अपमान और न ही उत्पीड़न को इसका कारण बताया गया है । प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार अपने उपचारों का फायदा उठाने का अधिकार है । इसलिए यदि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया है, तब पक्षकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने-अपने उपचारों का फायदा उठा रहे हैं । ऐसी कार्रवाई का कारण यह नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अनुसूचित जाति की सदस्य है ।

14. इस उपबंध का एक अन्य महत्वपूर्ण संघटक "जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में" अपमानित या अभित्रस्त करना है । "जनता को दृष्टगोचर स्थान में" का क्या अर्थ समझा जाए, यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष **स्वर्ण सिंह और अन्य** बनाम **राज्य मार्फत स्टेंडिंग काउंसेल और अन्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित निर्णय में विचार के लिए आया था । इस न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में" अभिव्यक्ति के बीच विभेद किया था । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई अपराध भवन के बाहर उदाहरण के लिए किसी मकान के बाहर प्रांगण (लॉन) में किया गया है और वह प्रांगण किसी व्यक्ति द्वारा सड़क से या चाहरदीवारी के बाहर गली से देखा जा सकता है, तब प्रांगण निश्चित रूप से जनता को दृष्टिगोचर स्थान के अंतर्गत आएगा । इसके विपरीत, यदि अभ्युक्ति किसी भवन के अंदर की जाती है, किंतु जनता के कुछ सदस्य वहां नहीं हैं (न केवल नातेदार या मित्र) तब यह अपराध नहीं होगा चूंकि यह जनता को दृष्टिगोचर नहीं है । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"28. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 द्वारा प्रथम इत्तिलाकर्ता विनोद नागर

---

[1] (2008) 8 एस. सी. सी. 435.

का अपमान (उसे 'चमार' कहकर) तब किया गया था जब वह कार के निकट खड़ा था जो परिसर के दरवाजे पर खड़ी थी । हमारी राय में, यह स्थान निश्चित रूप से जनता को दृष्टिगोचर स्थान था, चूंकि मकान का दरवाजा निश्चित रूप से एक जनता को दृष्टिगोचर स्थान है । यदि अभिकथित अपराध भवन के अंदर किया गया होता और वह जनता को दृष्टगोचर भी नहीं था, तो यह एक भिन्न बात हो सकती थी । तथापि, यदि अपराध भवन के बाहर, उदाहरण के लिए, मकान के बाहर प्रांगण में किया जाता है और वह प्रांगण किसी व्यक्ति द्वारा सड़क से या चाहरदीवारी के बाहर गली से देखा जा सकता है, तो वह प्रांगण निश्चित रूप से जनता को दृष्टिगोचर स्थान होगा । साथ ही, यदि अभ्युक्ति किसी भवन के अंदर की जाती है, किंतु जनता के कुछ सदस्य वहां हैं (न केवल नातेदार या मित्र), तब भी यह एक अपराध होगा चूंकि यह जनता को दृष्टिगोचर है । अत: हमें 'जनता को दृष्टिगोचर स्थान' अभिव्यक्ति के साथ 'सार्वजनिक स्थान' अभिव्यक्ति से भ्रमित नहीं होना चाहिए । कोई स्थान एक प्राइवेट स्थान हो सकता है किंतु फिर भी वह जनता को दृष्टिगोचर हो सकता है । दूसरी ओर, एक सार्वजनिक स्थान का अर्थ मामूली तौर पर वह स्थान होगा जो सरकार या नगरपालिका (या अन्य स्थानीय निकाय) या ग्राम सभा या राज्य के किसी अभिकरण के स्वामित्व में है या उसके द्वारा पट्टे पर दिया गया है, न कि प्राइवेट व्यक्तियों या प्राइवेट निकायों के स्वामित्व में है या पट्टे पर दिया गया है ।"

15. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार, इत्तिलाकर्ता को गाली उसके भवन की चाहरदीवारी के भीतर देने के अभिकथन किए गए हैं । इत्तिलाकर्ता का यह पक्षकथन नहीं है कि मकान में इस घटना के समय पर जनता का कोई सदस्य (न केवल नातेदार या मित्र) था । अत: यह मूलभूत संघटक, कि "जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में" शब्दों का उच्चारण किया गया था, सिद्ध नहीं होता है । आरोप पत्र से उपाबद्ध साक्षियों की सूची में कतिपय साक्षियों के नाम दिए गए हैं किंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि ये वे व्यक्ति थे जो भवन की चाहरदीवारी के

भीतर मौजूद थे । यह अभिकथन किया गया है कि अपराध भवन की चाहरदीवारी के भीतर घटित हुआ था । इसलिए **स्वर्ण सिंह** (उर्पयुक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इसे जनता को दृष्टिगोचर स्थान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और/या आरोप पत्र के अनुसार भवन की चाहरदीवारी के भीतर कथित रूप से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था ।

16. भूमि के कब्जे के बारे में एक विवाद है जो पक्षकारों के बीच, स्वयं प्रत्यर्थी सं. 2 के अनुसार, सिविल विवाद की विषयवस्तु है । इस विवाद के कारण अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति प्रत्यर्थी सं. 2 को पिछले छह माह से भूमि की जुताई नहीं करने दे रहे थे । चूंकि मामला संपत्ति के कब्जे के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए उक्त संपत्ति के कब्जे को लेकर उद्भूत किसी विवाद से तब तक अधिनियम के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जब तक कि आहत का अपमान, अभित्रास या उत्पीड़न केवल इस कारण न किया गया हो कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है ।

17. **खुमन सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित एक अन्य निर्णय में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी मामले में अधिनियम की धारा 3(2)(v) की प्रयोज्यता के लिए, यह तथ्य कि मृतक अनुसूचित जाति का था, वर्धित दंड देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह सुझाव देने के लिए कुछ नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा अपराध केवल इस कारण कारित किया गया था कि मृतक अनुसूचित जाति का था । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

> "15. जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध अवश्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि यह अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन आ सके । व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अवश्य इस आधार पर कारित किया गया होना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का

---

[1] (2019) एस. एस. सी. ऑन लाइन एस. सी. 1104.

सदस्य है । प्रस्तुत मामले में, यह विवादग्रस्त नहीं है कि मृतक 'खांगड़' – अनुसूचित जाति का था । यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपराध केवल इस आधार पर कारित किया गया था कि आहत अनुसूचित जाति का सदस्य था और इसलिए अपीलार्थी-अभियुक्त की अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अधीन दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है ।"

18. अत: अधिनियम के अधीन अपराध मात्र इस तथ्य के आधार पर कि इत्तिलाकर्ता अनुसूचित जाति की सदस्य है तब तक सिद्ध नहीं होता है कि जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने का आशय इस कारण से न हो कि आहत का संबंध उस जाति से है । प्रस्तुत मामले में, पक्षकार भूमि के कब्जे को लेकर मुकदमेबाजी कर रहे हैं । गाली देने का अभिकथन उस व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जिसने संपत्ति पर हक होने का दावा किया है । यदि ऐसा व्यक्ति संयोगवश अनुसूचित जाति का है, तो अधिनियम की धारा 3(1)(द) के अधीन अपराध नहीं बनता है ।

19. इस न्यायालय ने **डा. सुभाष काशीनाथ महाजन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित निर्णय में अधिनियम के अधीन किए जाने वाले अपेक्षित अन्वेषणों के संबंध में कतिपय निदेश जारी किए थे । उक्त निर्णय के विरुद्ध संघ द्वारा फाइल किए पुनर्विलोकन में इस न्यायालय ने **भारत संघ** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] के रूप में संप्रकाशित मामले के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों का पुनर्विलोकन किया और यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई मिथ्या और निराधार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है, तो संहिता की धारा 482 के अधीन कार्यवाहियों का अवलंब लिया जा सकता है । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"52. ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य एक वर्ग के रूप में अधिनियम के

---

[1] (2018) 6 एस. सी. सी. 454.

[2] (2020) 4 एस. सी. सी. 761.

उपबंधों का दुरुपयोग कर सकते हैं और उच्च जातियों के सदस्यों या अभिजात वर्ग के सदस्यों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है । मिथ्या रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका कारण उस व्यक्ति की जाति है । ऐसा मानवीय कमजोरी के कारण होता है न कि जाति की बात के कारण । ऐसे किसी कृत्य के लिए जाति को उत्तरदायी नहीं समझा जा सकता है । दूसरी ओर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य पिछड़ेपन के कारण मुश्किल से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तक दर्ज करने का साहस जुटा पाते हैं, मिथ्या रिपोर्ट तो दूर की बात । यदि यह मिथ्या या निराधार पाई जाती है, तो यह दोषपूर्ण अन्वेषण या अन्य विभिन्न कारणों से हो सकता है जिसमें जाति के पहलू को विचार में लाए बिना मानवीय कमजोरियां भी सम्मिलित हैं । कतिपय ऐसे मामले हो सकते हैं जो मिथ्या हों और न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का एक आधार हो सकता है किंतु ऐसे दुरुपयोग के कारण विधि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन कार्यवाहियों में विचार किया जा सकता है ।"

20. बाद में, संशोधनकारी अधिनियम (2018 का केंद्रीय अधिनियम सं. 27) के उपबंधों की सांविधानिकता की परीक्षा करते हुए इस न्यायालय ने **पृथ्वीराज चौहान** बनाम **भारत संघ**[1] के रूप में संप्रकाशित मामले के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाहियों को संहिता की धारा 482 के अधीन अभिखंडित किया जा सकता है । निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

"12. न्यायालय, आपवादिक मामले में, उपबंधों के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए स्थिर मानदंडों के आधार पर मामले को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि पुनर्विलोकन याचिकाओं का विनिश्चय करते समय पहले मत व्यक्त किया गया

[1] (2020) 4 एस. एस. सी. 727.

है । विधिक स्थिति स्पष्ट है और इसके प्रतिकूल कोई तर्क नहीं दिया गया है ।"

21. **जार्ज पेंटय्या** (उपर्युक्त) वाले मामले में दिए गए तर्कों में एक तर्क अभियुक्त की जाति का प्रकटीकरण न करने का था किंतु तथ्य लगभग समान थे क्योंकि पक्षकारों के बीच सिविल विवाद लंबित था और अभिकथन यह था कि अभियुक्त ने आहत की जाति को लेकर गालियां दी थीं । इस मामले में उच्च न्यायालय ने **आशाबाई मचिन्द्र अधागले** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस निर्णय का गलत पठन किया है क्योंकि यह मामला आहत की जाति के बारे में नहीं था अपितु तथ्य यह था कि अभियुक्त उच्च जाति का था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसका उल्लेख नहीं था । बम्बई उच्च न्यायालय ने कार्यवाहियों को इस कारण से अभिखंडित कर दिया था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त की जाति का उल्लेख नहीं था, इसलिए अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध नहीं बनता है । बम्बई उच्च न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध अपील में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह अन्वेषण का मामला होगा कि क्या अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है या नहीं है । इसलिए उच्च न्यायालय ने बाद के बृहत्तर न्यायपीठ के निर्णय का अवलंब लेकर अभिखंडित करने वाली याचिका को खारिज करके गलती की है ।

22. अपीलार्थी ने आरोप पत्र को इस आधार पर अभिखंडित करने की ईप्सा की थी कि अभिकथन से अधिनियम के अधीन केवल इस कारण अपराध नहीं बनता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अनुसूचित जाति की है चूंकि संपत्ति विवाद इस तथ्य के कारण नहीं था कि प्रत्यर्थी सं. 2 अनुसूचित जाति की है । समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्ति और उच्च जाति के व्यक्ति के बीच संपत्ति विवाद से अधिनियम के अधीन कोई अपराध तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि अभिकथन आहत के अनुसूचित जाति का होने के कारण न हों । इसके अतिरिक्त, यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी को इत्तिलाकर्ता की जाति की जानकारी थी, महत्वहीन है क्योंकि जानकारी किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित

प्रक्रिया के अनुसार अपने अधिकारों की संरक्षा करने के लिए वर्जित नहीं करती हैं ।

23. इस न्यायालय ने **ईश्वर प्रताप सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] के रूप में संप्रकाशित मामले के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया था कि आरोप पत्र को भागत: अभिखंडित करने के लिए विधि के अधीन कोई प्रतिषेध नहीं है । संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई किसी याचिका में उच्च न्यायालय को यह परीक्षा करनी चाहिए कि क्या विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए उसका हस्तक्षेप अपेक्षित है या नहीं । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "9. अन्वेषण में बाह्य हस्तक्षेप पर स्थिर विधिक स्थिति और इस मामले के विनिर्दिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए था । किसी आरोप पत्र को भागत: अभिखंडित करने के लिए विधि के अधीन कोई प्रतिषेध नहीं है । कोई व्यक्ति विभिन्न शास्तिक कानूनों के अधीन कई अपराधों का अभियुक्त हो सकता है, जैसा कि इस मामले में है । वह अभियोजन पक्ष से विधि में उसे उपलब्ध किसी आधार पर केवल किसी विशिष्ट आरोप या आरोपों पर व्यथित हो सकता है । धारा 482 के अधीन, उच्च न्यायालय को जो परीक्षा करनी चाहिए वह यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए या प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए उसका हस्तक्षेप अपेक्षित है या नहीं । पुलिस से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर फाइल किया गया आरोप पत्र विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग की कोटि में आएगा

---

[1] (2018) 13 एस. सी. सी. 613.

और इसलिए उच्च न्यायालय को दुरुपयोग की सीमा तक धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था । यह आवश्यक नहीं है कि आरोप पत्र को भागत: अभिखंडित न करके समग्र रूप में अभिखंडित किया जाए । तद्नुसार, यह अपील मंजूर की जाती है । पुलिस द्वारा आयोग के निदेश पर फाइल की गई अनुपूरक रिपोर्ट अभिखंडित की जाती है ।"

24. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध नहीं बनते हैं । परिणामत:, आरोप पत्र को इस सीमा तक अभिखंडित किया जाता है । इस अपील का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है ।

25. सक्षम न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार अन्य अपराधों की बाबत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का विचारण दांडिक मामले (2019 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 174) के साथ किया जाएगा, यद्यपि यह दांडिक मामला अलग से आरंभ किया गया है और इसका कारण यह है कि यह अंत: पक्षकार विवाद से संबंधित है और इस तथ्य के बावजूद कि पक्षकारों द्वारा घटना की दो भिन्न-भिन्न तारीखें दी गई हैं, यह संपत्ति की एक ही विषयवस्तु की बाबत है ।

अपील का निपटारा किया गया ।

जस.